न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 115/18

बदरी पुत्र. लट्टू मीना उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम विच्छीदोना तहसील मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर

अपीलांटान

बनाम

राजस्थान राज्य द्वारा नायब तहसीलदार मलारना डूँगर जिला सवाईमाधोपुर

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 169/17 निर्णय दिनांक 15.12.17 एवं नायब तहसीलदार मलारना डूँगर मु0न0 135/14 निर्णय दिनांक 9.10.14)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री राधेश्याम बैष्णव
2. रेस्पोटेटान की और से पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 16.10.2019

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0न0 169/17 निर्णय दिनांक 15.12.17 एवं न्यायालय नायब तहसीलदार मलारना डूँगर के प्रकरण संख्या 135/14 दिनांक 9.10.14 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मे अपीलांट द्वारा नायब तहसीलदार मलारना डूँगर के निर्णय दिनांक 9.10.14 के विरूद्व प्रथम अपील इस आशय की पेश की थी कि अपीलार्थी को ग्राम बिच्छीदोना मे फसल खरीफ सम्वत 2071 मे ख0न0 935 रकबा 0.03 है0 गैर मुमकिन तलाई मे अतिक्रमण कर गैर मुमकिन बाडा बनाकर कब्जा किये जाने का दोषी मानकर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलार्थी के विरूद्व शास्ति आरोपित कर मौके से बेदखल करने के अतिरिक्त 30 दिवस मे सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर अपींलाट द्वारा प्रथम अपील अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहाँ पेश की गई थी। अति0 जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की जाकर नायब तहसीलदार मलारना डूँगर के निर्णय का यथावत रखने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा द्वितीय अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

Scanned by CamScanner

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि दोनो अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय विधि विरूद्व तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर नही दिया तथा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी को विधिवत नोटिस नही दिया गया। इसके उपरान्त भी अपीलांट को सिविल कारावास से दण्डित किया है जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अपीलाधीन भूमि ख0न0 935 रकबा 0.03 है0 राजकीय भूमि है जो गैर मुमकिन तलाई नही है। जो गांव की आबादी के मध्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की जॉच नही की न ही मौके की रिपोर्ट प्राप्त की। अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी की गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर अपना आदेश पारित किया है जिसे अपीलीय न्यायालय ने भी अनदेखा कर अपना निर्णय विधि के प्रावधानो के विपरीत पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन भूमि मौके पर खाली पडी है। जिस पर अपीलांट ने कभी काश्त नही की है। अपीलांट 75 वर्षिय वृद्व है जो चलने फिरने की स्थिति मे नही है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अनदेखा कर अपना निर्णय विधि के प्रावधानो के विपरित पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध मे अपीलांट के विरूद्व कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही होते हुए भी अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए अपना आदेश गलत रूप से पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर अतिचार नही होने बाबत शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर आलोच्य निर्णय दोनो अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 9.10.14 एवं दिनांकीय 15.12.17 अपास्त किया जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस अपील मे बताया कि अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। क्योकि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिसकी तामिल अपीलार्थी द्वारा स्वयं की गई है। अपीलार्थी सरकारी भूमि पर अतिचार करने का आदि होने के कारण ही उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जाकर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई की भूमि है। यदि इस प्रकार के अतिक्रमियो की सजा माफ की जाती है तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा। अतः अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित किये गये निर्णयो मे किसी प्रकार की अनियमतिता नही है। निर्णय विधि अनुरूप किये गये है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्षो की बहस अपील एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आये कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम बिच्छीदोना मे फसल खरीफ सम्वत 2071 मे ख0न0 935 रकबा 0.03 है0 गैर मुमकिन तलाई मे अतिक्रमण कर गैर मुमकिन बाडा

Scanned by CamScanner

बनाकर कब्जा किये जाने के फलस्वरूप ही मातहत न्यायालय द्वारा सिविल कारावास ,शास्ति एवं बेदखली के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलांट का यह कथन मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत रूप से नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने की अपेक्षा की गई थी जिसके परिपेक्ष्य में अपीलांर्थी अधिनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। यधपि अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडने का शपथ पत्र पेश किया है परन्तु अपीलांट द्वारा जिस भूमि पर कब्जा किया गया है उस भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई है। जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम मे आती है। माननीय उच्च न्याायलय जोधपुर राजस्थान द्वारा डी.बी.सिविल रिट पिटीशन न0 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 मे नदी,नाला,तालाब आदि के संरक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किये गये है। अपीलांट द्वारा गैर मुमकिन तलाई पर कब्जा किया हुआ है। अपीलांट बार बार कब्जा करने का आदि होने के कारण ही पटवारी हल्का द्वारा पुराना अतिचारी होने की रिपोर्ट की गई है। उक्त अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उनमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किया जाना विधि सम्मत है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय अति0जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 169/17 निर्णय दिनांक 15.12.17 एवं नायब तहसीलदार मलारना डूँगर मु0न0 135/14 निर्णय दिनांक 9.10.14 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

(बी0एल0 रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.18 15:36:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: